न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 101/2018

कर्मजीत कौर पुत्री हाकमसिंह जाति जटसिख निवासी लालगढ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर। — अपीलार्थी

बनाम

1. जगदेवसिंह
2. सुखचैनसिंह
3. सुखजीतसिंह

पिसरान हकीकसिंह जाति जटसिख निवासी भागसर तहसील व जिला मुक्तसर पंजाब।

4. नत्थासिंह पुत्र गुरवक्शसिंह जाति जटसिख निवासी बुर्ज हनुमानगढ तहसील व जिला फाजिल्का पंजाब।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पदमपुर। — रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर दिनांक 11.08.2017

उपस्थितिः—

श्री तेजासिंह, अभिभाषक अपीलांट

श्री जीतपालसिंह सैनी, अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3

श्री विक्रम बिश्नोई अभिभाषक रेस्पों. सं. 4

श्री महावीर धारणिया, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 02.11.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/रेस्पों. सं. 1 से 3 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के समक्ष पेश किया जिसके साथ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का प्रा.पत्र पेश कर अप्रार्थीगण के विरुद्ध वाद के निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया कि गैरसायल चक 2ई.ई.ए के मु.नं. 19 के कि.नं. 19 व 20 की 0.104है0, मु.नं. 23 के कि.नं. 16 से 18, 21 से 24 की 0.671है0, मु.नं. 24 के कि.

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

नं. 24, 25 की 0.063है0 तीनों मुरब्बों में 0.880है0 भूमि में 0.859है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे तथा रहन, बैय करने से बाज व मम्नू रहें। प्रा0पत्र पेश होने पर अधी. न्यायालय ने दिनांक 11.08.2017 को प्रा.पत्र दर्ज रजिस्टर कर एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी एवं अप्रार्थीगण को तलब करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी/अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तथा लिखित बहस पेश करते हुए कथन किया अधी.न्यायालय में रेस्पो. सं. 1 से3 ने वाद व धारा 212 आरटीए का प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित भूमि की मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा चाही जिसमें अधी.न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने आदेश पारित कर दिया। अपीलांट के पक्ष में मामला बनता था रेस्पो. के पक्ष में किसी प्रकार से मामला नहीं बनता था फिर भी अपीलांट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी।

अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाष रेस्पो. संख्या1 से 3 ने लिखित बहस पेश करते हुए कथन किया कि अपीलाधीन आदेश तारीख पेशी तक जारी किया गया था जो तारीख पेशी निकल चुकी है एवं आगे की तारीख पेशी पड़ चुकी है अपीलांट के अपील निष्प्रभावी हो चुकी है । ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का अधिकार नहीं है । अपने पक्ष के समर्थन में वकील अपीलांट ने आरआरटी 2014(1) पेज 409 की नजीर पेश की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. सं. 4 ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश अन्तरिम आदेश है जिसकी अपील नहीं हो सकती। अप्रार्थी सं. 1 अधी. न्यायालय

[signature] राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)

में उपस्थित था एवं अप्रार्थी सं. 2 की ओर से भी अधिवक्ता उपस्थित थे जिनके द्वारा जबाब हेतु समय चाहा गया था। अधी. न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर धारा 212 आर.टी.ए. के प्रा.पत्र का निर्णय किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में अपील चलने योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 11.08.2017 के विरूद्ध दिनांक 18.06.2018 को पेश की है जिसके लिए अपीलाधीन आदेश की जानकारी 03.06.2018 को होना बताया है जबकि अधी. न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 05.03.2018 में यह अंकित है कि अप्रार्थी सं. 2 के अधिवक्ता उपस्थित जबाब प्रा.पत्र हेतु समय चाहते हैं. इससे स्पष्ट है कि 05.03.2018 को अपीलांट की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आ चुके थे एवं उनको आदेश दिनांक 11.08.2017 की जानकारी उसी दिन हो चुकी थी। इसप्रकार अपील मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

साथ ही यहां यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट ने अधी.न्यायालय के अन्तरिम स्थगन आदेश जो कि आगामी सुनवाई तिथि तक प्रभावी था के विरूद्ध यह अपील पेश की है। माननीय राजस्व मंडल की पूर्ण पीठ में अपने निर्णय आरआरडी 14.05.2014 पेज 345 में यह अवधारित किया है कि सामान्यतः ऐसे अन्तरिम आदेश जो आगामी तिथि तक प्रभावी हो के विरूद्ध अपील हेतु राजस्व अपील प्राधिकारी को कोई क्षेत्राधिकार नहीं है एवं प्रभावित पक्षकार को विचारण न्यायालय के समक्ष ही अपनी आपत्ति/जबाब प्रस्तुत कर अन्तिम निस्तारण करवाने के निर्देश अपीलीय न्यायालय स्तर से जारी होने चाहिए । सामान्यतः इस सम्बन्ध में अधी.न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप उचित नही है। इस न्यायालय के विनम्र मत अनुसार इस प्रकरण में इसी अनुरूप कार्यवाही की जाना न्यायसंगत है। तदनुसार इस विधि दृष्टान्त में किये गये निर्धारण /निर्देशों अनुसार अधी.न्यायालय के आदेश दिनांक 11.08.2017 में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है एवं अधी.न्यायालय को स्थगन प्रार्थना के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

दिये जाने उचित है । साथ ही यह अपील मियाद में शुमार किया जाना भी उचित नहीं है।

अतः अपील अपीलांट मियाद के बिन्दु पर एवं अन्तरिम आदेश के विरूद्ध होने से उक्त उक्त विवेचनानुसार खारिज की जाती है। साथ ही अधी.न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 2 से जबाव स्थगन प्रार्थना पत्र लेकर प्रकरण का निर्णय पक्षकारों के उपस्थित होने के पश्चात एक माह में किया जावे । पक्षकार अधी.न्यायालय में दिनांक 16.11.2018 को उपस्थित रहे ।

निर्णय आज दिनांक 02.11.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर